

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत अनुपालन  
Compliance under Section 4(1) (b) of Right to Information Act, 2005**

आरटीआई अधिनियम की धारा Section of RTI Act	आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यकता Requirement under the RTI Act	विवरण Details
4(1)(बी)(i) 4(1)(b)(i)	संगठन, गतिविधियां और ड्यूटियों का विवरण Particulars of organization , functions & duties	<p>रेलवे का मौलिक कार्य है माल और यात्रियों का परिवहन करना. कुशल रेल परिचालनों के लिए फिट और स्वस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका को अधिक सराहना की जा सकती है. दक्षिण मध्य रेलवे के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आधुनिक एवं लागत प्रभावी तकनीक व प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रत्येक डॉक्टर और पैरामेडिक कर्मचारी की समर्पित सेवा के माध्यम से रोगियों की संपूर्ण संतुष्टि हेतु अत्युत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना अपना मिशन बनाया है.</p> <p><b>Railway's primary business is to transport goods and passengers. The role of Medical and Health Department can be best appreciated in view of the need to have fit and healthy employees for efficient railway operations. The Medical and Health Department of the South Central Railway has adopted providing total patient satisfaction through humane approach and shared commitment of every single Doctor and Paramedic &amp; provision of quality health care using modern and cost effective techniques and technologies as its mission.</b></p> <p>यह लक्ष्य रेलवे के चिकित्सा विभाग को पर्याप्त उपचार, प्रचार-प्रसार और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना; रेल दुर्घटनाओं में घायल यात्रियों को त्वरित राहत देने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बक्स सहित दुर्घटना राहत उपकरण प्रदान करना और उनका रखरखाव करना; गाड़ियों में या रेलवे स्टेशनों पर घायल या गंभीर रूप से बीमार यात्रियों की देखभाल करना; नामित रेलवे स्टेशनों और कॉलोनिओ में स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करना, सुरक्षित पेयजल और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों की निगरानी करना; अस्पताल कचरे के निपटान के लिए उपाय करना; प्रभावी मापदंडों और विभागीय पर्यवेक्षण और मेडिकल ऑडिट आदि के माध्यम से श्रमशक्ति की पर्याप्तता और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रभावकारिता का आकलन करने का निदेश देता है. रेलवे में स्वास्थ्य सुविधाएं तीन स्तरों पर प्रदान की जाती हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक. प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयां सभी प्रभागों में फैली हुई हैं; मंडल अस्पताल माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रेणी में आते हैं जबकि केंद्रीय अस्पताल में तृतीयक देखभाल केंद्र होते हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं) करते हैं. प्रत्येक जोनल रेलवे के मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा निदेशक जोनल</p>

		<p>रेलवे में सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य मामलों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं।</p> <p>The mission statement enjoins upon the medical department of the railways to provide adequate curative, promotive and preventive health services; provide and maintain accident relief medical equipment, including first aid boxes, to give prompt relief to passengers injured in railway accidents; attend to passengers injured or taken seriously ill in trains or at railway stations; Providing technical advice for sanitation hygiene and cleanliness at nominated railway stations &amp; colonies monitoring safe drinking water and un-adulterated eatables; take measures for disposal of hospital waste; assess adequacy of manpower and efficacy of health care services through effective parameters and adequacy of departmental supervision medical audit etc. Health facilities in the railway are provided at three levels viz., primary, secondary and tertiary. At primary level Health Units are scattered all over the Divisions; Divisional Hospitals come under the category of secondary health facilities while Central Hospitals comprise the tertiary care centers. Medical and Health Department is headed by Director General (Railway Health Services) in the Ministry of Railways (Railway Board). Chief Medical Directors at headquarters of each zonal railway are responsible for administrative control of all the medical and health matters in the zonal railway.</p>
4(1)(बी)(ii) 4(1)(b)(ii)	<p>अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं ड्यूटियां</p> <p>The powers and duties of the officers and employees</p>	<p>संगठन में सभी स्तरों पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ गैर-चिकित्सा अधिकारियों की शक्तियां अच्छी तरह से परिभाषित हैं। ड्यूटियां विभागवार सौंपे गए हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों के वैध कर्तव्य के लिए रेल मंत्रालय/ रेलवे बोर्ड/आईआर कार्मिक/कोड और मैनुअल/भाग बी मैनुअल /भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम - I के तहत भारतीय रेलवे की वेबसाइट <a href="http://www.Indianrailways.gov.in">http://www. Indianrailways.gov.in</a> देखें।</p> <p>The powers of Medical officials as well as non-medical officials are well defined at all levels in the organization. The duties are Department wise assigned and legitimate duties of Officers &amp; Staff can be viewed on Indian Railways website <a href="http://www.indianrailways.gov.in">http://www.indianrailways.gov.in</a> under Ministry of Railways / Railway Board / For IR Personnel / Codes And Manuals / PART B Manuals / Indian Railway Medical Manual Volume – I.</p>
4(1)(बी)(iii) 4(1)(b)(iii)	<p>पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पद्धति।</p> <p>The procedure followed in the decision making process including channels of supervision</p>	<p>कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न स्थापना कोड/स्थापना और चिकित्सा मैनुअल में निहित प्रावधानों पर आधारित हैं। सामान्य कार्यालयीन कार्यों के लिए, कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल उपलब्ध है। सामान्य प्रक्रियात्मक निदेश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं और उपयोगकर्ता अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं। मुख्य उद्देश्य रचनात्मक दृष्टिकोण; टीम भावना; कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता; कामकाज</p>

<p>4(1)(बी)(iv) 4(1)(b)(iv)</p>	<p>कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानक The norms set for discharge of functions</p>	<p>और व्यवहार में पारदर्शिता; विभाग की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही हैं. The procedure/norms set for discharge of functions are based on the provisions contained in various Establishment codes/ Establishment and Medical manuals. For general office procedure, there is a manual of Office procedure. The general procedural instructions are also reiterated/issued from time to time and are available with user Officials. The key values are Constructive approach; Team Spirit; Excellence in Performance; Transparency in working and dealings; Responsible and accountability of department</p>
<p>4(1)(बी)(v) 4(1)(b)(v)</p>	<p>कंपनी में उपलब्ध या उनके नियंत्रण में रखे गए या कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड The discharging their functions</p>	<p>चिकित्सा विभाग में रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड/आईआर कार्मिकों के लिए/कोड और मैनुअल/पार्ट बी मैनुअल/ भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम-I एवं वॉल्यूम-II के साथ कार्यों के निर्वहन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि वेबसाइट <a href="http://www.Indianrailways.gov.in">http://www.Indianrailways.gov.in</a> पर देख सकते हैं. हमारे बारे में/ रेल कार्मिकों के लिए/ शक्तियों की अनुसूची वेबसाइट <a href="http://www.scr.Indianrailways.gov.in">http://www.scr.Indianrailways.gov.in</a> पर उपलब्ध है.  The Medical Department holds Indian Railway Medical manuals volume I &amp; II on website <a href="http://www.indianrailways.gov.in">http://www.indianrailways.gov.in</a> under Ministry of Railways / Railway Board / For IR Personnel / Codes And Manuals / PART B Manuals / Indian Railway Medical Manual Volume – I &amp; Volume – II. and Schedule of Powers for discharging the functions as Delegation of Powers etc. under head About us / For Railway Personnel / Schedule of Powers on website <a href="http://www.scr.indianrailways.gov.in">http://www.scr.indianrailways.gov.in</a></p>
<p>4(1)(बी)(vi) 4(1)(b)(vi)</p>	<p>चिकित्सा विभाग में उपलब्ध या उनके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण. A statement of the categories of documents that are held or under the control of the Medical Department.</p>	<p>चिकित्सा विभाग में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू कुछ श्रेणियों के दस्तावेजों को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता है. In the medical department certain categories of documents are required to be preserved and maintained under various applicable provisions of law viz.  1) दौरा कार्यक्रम Tour programmes. 2. प्रिस्क्रिप्शन की डुप्लीकेट पर्चियां. Duplicate slips of prescription. 3. इनडोर रोगियों का प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर. Prescription registers of indoor patients. 4. जलपान कक्ष, भोजन विक्रेताओं के स्टॉल आदि का निरीक्षण रिपोर्ट. Inspection reports of refreshment rooms, food vendors stalls etc. 5. एआरएमई/प्राथमिक चिकित्सा बक्स निरीक्षण रिपोर्ट. ARME/First Aid Boxes inspection reports. 6. टीकाकरण/इनोक्वूलेशन के रजिस्टर. Registers of vaccination/inoculations.</p>

	<p>7. अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों के निरीक्षण रिपोर्टों की कार्यालय प्रतियां. <b>Office copies of inspection reports on Hospitals &amp; Health Units.</b></p> <p>8. संक्रामक मामलों और मृत्यु के रिपोर्टों की कार्यालय प्रतियां <b>Office copies of reports of infectious cases and deaths</b></p> <p>9. निर्माण कार्यक्रम/एम एंड पी कार्यक्रम <b>Works programmes/M&amp;P programmes.</b></p> <p>10. सामान्य पत्राचार फ़ाइल. <b>General correspondence files.</b></p> <p>11. साधारण एक्स-रे प्लेट. <b>Ordinary X-ray plates.</b></p> <p>12. रेल दावा प्राधिकरण के सदस्यों के चिकित्सा परीक्षण रिकॉर्ड <b>Medical Examination records of Members of Railway Claims Tribunals</b></p> <p>13. बीमार होने की सूचना देने वाले मरीजों के बेड-हेड टिकट/तापमान चार्ट/ओपीडी टिकट <b>Bed-head tickets/Temp.charts/OPD tickets of patients reporting sick</b></p> <p>14. बीमारी, बीमारी निरंतरता और फिटनेस प्रमाण पत्र <b>Sickness, Continuation sickness &amp; fitness Certificates</b></p> <p>15. बीमार/ड्यूटी प्रमाण पत्र. <b>Sick / Duty certificates.</b></p> <p>16) चेस्ट क्लिनिक से संबंधित उम्मीदवारों का एमएमआर और एक्स-रे प्लेट <b>MMR of candidates and X-ray plates pertaining to chest clinic</b></p> <p>17. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें. <b>Medical Board reports.</b></p> <p>18. अवैध प्रमाणपत्र. <b>Invalidation certificates.</b></p> <p>19. प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण. <b>Initial Medical examination.</b></p> <p>20. आवधिक चिकित्सा परीक्षण. <b>Periodical medical examination.</b></p> <p>21. नीतिगत मामलों के परिपत्रों की फ़ाइल <b>Files of circular letter on policy matters</b></p> <p>22. दुर्घटना रिपोर्ट. <b>Accident reports.</b></p> <p>23. जन्म रजिस्टर. <b>Birth Registers.</b></p> <p>24. मृत्यु रजिस्टर. <b>Death Registers.</b></p>
	<p>25. मृत्यु प्रमाण पत्र. <b>Death certificates.</b></p> <p>26. मेडिको लीगल केस रिपोर्ट. <b>Medico Legal case reports.</b></p> <p>27. मेडिको लीगल मामलों के एक्स-रे प्लेट. <b>X-ray plates of Medico Legal cases.</b></p> <p>28. चिकित्सा विभाग स्तर पर खरीदी गई दवाइयों एवं मेडिकल स्टोर के खरीदी रिकार्ड <b>Procurement records of medicines and medical stores procured at Medical Department level</b></p>

<p>4(1)(बी)(viii) 4(1)(b)(viii)</p>	<p>दो या दो से अधिक व्यक्तियों से गठित बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों से प्राप्त स्टेटमेंट जो उसके अंतर्गत या उसे सूचना देने के लिए गठित हैं और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए प्रकट हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के पहुंच में हैं. A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advise, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public</p>	<p>लागू नहीं है <b>Not applicable</b></p>
<p>4(1)(बी)(ix) 4(1)(b)(ix)</p>	<p>अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका A directory of the officers and employees</p>	<p>द.म.रेलवे वेबसाइट पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है <a href="http://www.scr.Indianrailways.gov.in">http://www.scr. Indianrailways.gov.in</a> के अंतर्गत- 1) हमसे संपर्क करें/ आधिकारिक संपर्क नंबर / प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन नंबर और 2) हमसे संपर्क करें / दमरे टेलीफोन निर्देशिका. Information can be viewed on SCRLY website <a href="http://www.scr.indianrailways.gov.in">http://www.scr.indianrailways.gov.in</a> under- 1) Contact us / Official Contact Numbers / Telephone numbers of Administrative Officers and 2) Contact us / SCR Telephone Directory.</p>
<p>4(1)(बी)(x) 4(1)(b)(x)</p>	<p>प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें विनियमों के अनुसार देय प्रतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है The monthly remuneration received by each of the officers and in the regulations</p>	<p>प्रतिपूर्ति की प्रणाली: सभी प्रतिपूर्ति का भुगतान बैंकिंग चैनल और उचित भुगतान वाउचर के माध्यम से किया जाता है. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक की जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे की वित्त शाखा और कार्मिक शाखा द्वारा प्रदान की जाएगी. System of compensation: All compensation is paid through banking channel and proper payment vouchers. The information regarding monthly remuneration received by each officer and employee will be provided by Finance branch and Personnel branch of South Central Railway.</p>
<p>4(1)(बी)(xi) 4(1)(b)(xi)</p>	<p>प्रत्येक विभाग के लिए आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए</p>	<p>चिकित्सा विभाग को व्यय करने हेतु रेल मंत्रालय से कार्य बजट अनुदान के रूप में ₹. प्राप्त हुआ है. इसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सभी नौ क्षेत्रीय इकाइयों में वितरित किया जाता है (आंकड़े हजारों रुपये में :)</p>

	<p>गए संवितरण रिपोर्ट को दर्शाया गया है</p> <p>The budget allocated to each department, indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made</p>	<p>The Medical Department has received Rs. from Ministry of Railways as working budget grant for the to meet the expenses. The same is distributed to all nine field units as detailed below (Figures in Thousands of Rupees :)</p>	
		<p>केंद्रीय अस्पताल/लालगुडा/सिकंदराबाद Central Hospital/Lallaguda/Secunderabad</p>	<p>₹.</p>
		<p>सिकंदराबाद मंडल Secunderabad Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>हैदराबाद मंडल Hyderabad Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>विजयवाडा मंडल Vijayawada Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>गुंतकल मंडल Guntakal Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>गुंटूर मंडल Guntur Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>नांदेड मंडल Nanded Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>रायनपाडु उप-मंडल Rayanapadu Sub-Division</p>	<p>₹.</p>
		<p>तिरुपति कारखाना अस्पताल Tirupati Workshop Hospital</p>	<p>₹.</p>
		<p>कुल Total</p>	<p>₹.</p>
<p>4(1)(बी)(xii)4 1(b)(xii)</p>	<p>आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका</p> <p>The manner of execution of subsidy programmes including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes</p>	<p>चिकित्सा विभाग के लिए लागू नहीं है</p> <p>Not applicable to the medical department</p>	
<p>4(बी)(xiii) 4(b)(xiii)</p>	<p>संस्थान द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकार प्राप्त करने वालों का विवरण</p> <p>Particulars of recipients' of concessions, permits or authorizations granted by the institute</p>	<p>चिकित्सा विभाग के लिए लागू नहीं है</p> <p>Not applicable to the medical department</p>	
<p>4(बी)(xiv) 4(b)(xiv)</p>	<p>उनके पास उपलब्ध या उनके द्वारा रखी गई जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है</p>	<p>संगठन, इसके विकास, उद्देश्य, योजना, ताकत आदि से संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट-<a href="http://www.scr.Indianrailways.gov.in">http://www.scr.Indianrailways.gov.in</a> पर पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।</p> <p>Information relating to organization, its evolution, objectives, plan, strength, etc. have already been made available on company website –</p>	

	Details in respect of the information available to or held by it reduced in an electronic form	<a href="http://www.scr.indianrailways.gov.in">http://www.scr.indianrailways.gov.in</a>			
4(बी)(xv) 4(b)(xv)	सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए सुविधाओं का विवरण The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use	चिकित्सा विभाग किसी सार्वजनिक पुस्तकालय का रखरखाव नहीं करता है. हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिक पीआईओ को अपने प्रश्न अग्रेषित कर सकते हैं या हमारे से संबंधित सामान्य जानकारी वेब साइट - <a href="http://www.scr.Indianrailways.gov.in">www.scr. Indianrailways.gov.in</a> से प्राप्त की जा सकती है. Medical Department does not maintain any Public Library. However, citizens wishing to avail of information under Right to Information Act may forward queries to PIOs or general information on SCRLY could be obtained from the web site- <a href="http://www.scr.indianrailways.gov.in">www.scr.indianrailways.gov.in</a>			
4(बी)(xvi) 4(b)(xvi)	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम एवं अन्य विवरण The names designations and other particulars of the Public Information Officers	नाम Name	पदनाम Designation	टेलीफोन नंबर Tel Number	फैक्स नंबर Fax number
		डॉ सुरेखा गजभिये Dr Surekha Gajbhaye	अपर सीएमडी/टीएंडए एवं जन सूचना अधिकारी Addl.CMD/T &A & Public Information Officer	040 - 27822608	040- 27821373
		श्री वाई सुब्रह्मण्येश्वर राव Sri Y. Subrahmanyeswara Rao	एएचईओ और एपीआईओ AHEO & APIO	040 - 27786807 040- 27785032	
4(बी)(xvii) 4(b)(xvii)	ऐसी अन्य कोई निर्धारित जानकारी Such other information	ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ-निबंधन व शर्तें संबंधित जानकारी; ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों की सूची; संविदा चिकित्सा प्राकटीशनर-नियम और शर्तें; फार्मास्युटिकल फर्मों का पंजीकरण-निबंधन व शर्तें; पंजीकृत फार्मास्युटिकल फर्मों की सूची; सर्जिकल फर्म पंजीकरण- निबंधन व शर्तें; वार्षिक मेडिकल इंडेंटों की स्वीकृत दरें; स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों को मान्यता; चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्र; चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन - हमारे बारे			

	<p>में/विभाग/चिकित्सा वेब साइट पर-<a href="http://www.scr.Indianrailways.gov.in">http://www.scr.Indianrailways.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं.</p> <p><b>Information regarding Honorary Visiting Specialists-terms and conditions; list of Honorary Visiting specialists; Contract Medical Practitioners-terms and conditions; Registration of Pharmaceutical Firms-terms and conditions; List of registered Pharmaceutical firms; Surgical Firms Registration-terms and conditions; Accepted rates of Annual Medical Indents; Recognition of Private Hospitals' for Health care; Medical Reimbursement form; Nomination of Medical Officers for Medical Examination are available on under - About us/Departments/ Medical on web site- <a href="http://www.scr.indianrailways.gov.in">http://www.scr.indianrailways.gov.in</a></b></p>
--	--